आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या 1656/BFT/03/11-12 दिनांक 24/7/13

सेवा में,

श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार (निदेशक)

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री C/o ओमकार इन्फ्रा प्रमोटर्स प्रा० लि०

निवास 508/ मारुति प्लाजा, संजयप्लेस, आगरा।

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड Kh. No- 11(अ) मौ०- चमरौली आगरा स्थित में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नाँकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवम् इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकडे बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यो के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्नः स्वीकृति मानचित्र

भवदीय

24/7/13

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या..........................तद् दिनांक

प्रतिलिपि–
1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0................दिनांक......................के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रर्वतन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक : एन0एफ0टी0/टी0सी0/42/13–14 दिनांक : 13.03.2014

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

मै0 ओमकार इन्फ्रा प्रमोटर्स प्रा0लि0,
ओमश्री डायमण्ड हिल अपार्टमेन्ट,
आगरा।

विषय : खसरा संख्या 11(अ) मौजा चमरौली, आगरा पर ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में एफ0ए0आर0 क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.12.13 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा खसरा संख्या 11(अ) मौजा चमरौली, आगरा पर ग्रुप हाउसिंग हेतु प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0 1656/बीएफटी/3/11–12 से भिन्न हुए निर्माण को शमन व क्रय योग्य एफएआर दिये जाने का अनुरोध किया गया है। आपके प्रार्थना–पत्र पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 13.03.14 को निम्नलिखित शर्तों के साथ शमन व क्रय योग्य एफएआर की स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

शर्तें एवं प्रतिबन्ध :–

1. शासनादेश संख्या 925/आ–3–11–42विविध/99 दिनांक 15.06.11, शासनादेश संख्या 1669/11क0नि0–6–2004, दिनांक 03.09.11 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।
3. समस्त विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. अग्निशमन विभाग द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
5. सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी।
6. मानचित्र निर्गत होने से पूर्व आवेदक को स्ट्रक्चरल डिजायन को आई0आई0टी0, रूड़की विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनिरिंग के प्रोफेसर से प्रति–हस्ताक्षरित कराकर प्रस्तुत करनी होगी एवं इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण भूकम्परोधी है एवं पूर्णतः सुरक्षित है।
7. भूखण्ड का क्षेत्रफल 2000वर्गमी0 से अधिक व पक्ष द्वारा भवन सामग्री अपने भूखण्ड के अन्दर एकत्रित करनी होगी इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त स्थिति में मलबा शुल्क देय नहीं होगा।
8. शासनादेशानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
9. अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अतः पत्र प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर शमन शुल्क रु0 34,84,883.00 (रु0 चौंतीस लाख चौरासी हजार आठ सौ तिरासी मात्र) व रु0 3.00 लाख (रिफेण्डेबुल) रेन वाटर हार्वेस्टिंग मद के अन्तर्गत प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा कराने का कष्ट करें अन्यथा स्थिति में 18प्रतिशत ब्याज अतिरिक्त रूप से देय होगा।

भवदीय

13/3/14

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)